# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

राजस्व प्रकरण संख्या :– 66/2024
दायर दिनांक :– 30.04.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/5
निर्णय दिनांक :– 10.05.2025

1. रामरख पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1. जगमालराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी पली तहसील ओसियां जिला जोधपुर
2. भाखरराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी पली तहसील ओसियां जिला जोधपुर
3. समदी पत्नी छोटूराम जाति विश्नोई निवासी पली तहसील ओसियां जिला जोधपुर
4. सोहनराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी पली तहसील ओसियां जिला जोधपुर
5. नेकूखां पुत्र अली खां जाति मुसलमान निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
6. अर्जुनराम पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
7. गोमति पत्नी नारायणराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
8. भजनाराम पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
9. सोमराज पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

**–अप्रार्थीगण**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

**उपस्थित :–1.** श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
**2.** श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ. सं. 2,3,4
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

## –:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 225/48 रकबा 6.5883 हैक्टेयर ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 26.04.2022 को जारी आदेश कमं संख्या 48 की पालना में दिनांक 04.08.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 04.08.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 04.08.2023 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 ता 9 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 की और अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 225/48 रकबा 6.5883 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 04.08.2023 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में कथन किया कि पैमाईश फर्द दिनांक 04.08.2023 के अनुसार पत्थरगढी नहीं की जाकर ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 225/38 रकबा 14.1406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225/48 रकबा 6.5883 हैक्टेयर भूमि की सभी खातेदारी की उपस्थिति में पुनः पैमाईश की जाकर उक्त दोनों खसरान् की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 225/48 रकबा 6.5883 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 225/38 रकबा 12.1406 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उक्त खसरान् की पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

10/5/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पशुओं के बाड़ इत्यादि बना रखे है। उपरा ...

## आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 225/48 रकबा 6.5883 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 225/38 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.05.2025 | अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय फलोदी के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई।<br>वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना माफिक इस्तदुआ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।<br><br>10/5/25<br>सदस्य<br>सहायक कलक्टर<br>बाप (फलोदी)<br>राष्ट्रीय लोक अदालत<br>बैच संख्या ...05<br>सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)<br><br>10/05/25<br>अध्यक्ष<br>सिविल न्यायाधीश<br>एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप<br>राष्ट्रीय लोक अदालत<br>बैच संख्या ...05 | |